न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/390

काबूल सिंह आत्मज श्री तारा सिंह जाति सिक्ख निवासी उमरच तहसील एवं जिला बून्दी हाल निवास देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि ग्राम बम्बोरी तहसील बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 49 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन जरिये मिसल नम्बर 1048/73 दिनाक 28.03.1973 को आवंटन किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.01.2011 द्वारा निरस्त कर दिया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2011 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.02.2012 को खाते की नकल प्राप्त करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट आवंटी द्वारा अवंटन की समस्त शर्तों की पालना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । आवंटी उक्त आवंटित भूमि का कानूनन खातेदार बन चुका है क्योंकि आवंटन के 10 वर्ष बाद आवंटी आवंटित भूमि का खातेदार बन जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 27.01.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किंया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
8. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जावे । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2011 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.20185 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा